रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 2012/ज्येष्ठ 15, 1934
No. 258] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 2012/JYAISTHA 15, 1934

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

सा.का.नि. 426(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खण्ड (ञ) और खंड (थ) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) (द्वितीय संशोधन) संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) (तृतीय संशोधन) नियम, 2011 में-

(i) नियम 1 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) ये नियम यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय 1 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त होंगे ।"

(ii) नियम 2 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) नियम 5 के परंतुक का 1 नवम्बर, 2012 से लोप किया जाएगा ।"

[फा. सं. डब्ल्यू एम-11 (13)/2010]

राजीव अग्रवाल, सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 202(अ), तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 784(अ) तारीख 24 अक्तूबर, 2011 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2012

G.S.R. 426(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) and (q) of sub-section (2) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely :—

1. (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) (Second Amendment) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) (Third Amendment) Rules, 2011,—

(i) for sub-rule (2) of rule 1, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Save as otherwise provided, these rules shall come into force from 1st July, 2012."

(ii) in rule 2, for clause (a) the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) The proviso to rule 5 shall be omitted from 1st November, 2012."

[F. No. WM-11 (13)/2010]

RAJIV AGARWAL, Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide, notification number G.S.R. 202(E), dated 7th March, 2011 and last amended, vide, notification number G.S.R. 784(E), dated 24th October, 2011.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.